

प्ररूप- 1

[नियम 13(2) देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
..... पंचायत समिति।

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि पंचायत वृत्त..... के वार्ड सं. की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाये। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

इस खाने के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए पासपोर्ट आकार (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) का नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

1. आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
1 जनवरी(वर्ष लिखें) को आयु	वर्ष :	मास :
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात हो	दिन :	मास :
लिंग* (स्त्री/पुरुष/अन्य)		वर्ष :
पिता/माता/पति का नाम (अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें)	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
2. वर्तमान सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :		
मकान/द्वार संख्यांक :		
मार्ग/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :		
नगर/ग्राम :		
तहसील :	पंचायत समिति का नाम :	
जिला :	पिन कोड	
मोबाईल सं. (यदि कोई हो):	ई-मेल (यदि कोई हो) :	
विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम :	विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की भाग सं. :	

3. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित आवेदक के परिवार के सदस्य (यों) के ब्यौरे :-

क्र. सं.	नाम	आवेदक के साथ संबंध	मतदाता सूची का क्रम संख्या

* यदि किन्नर/लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिखें।

* कृपया आवेदन प्ररूप के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें।

4. घोषणा

मैं अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
- मैं सामान्य तौर से ऊपर पैरा-2 में दिए गए पते पर (तारीख, मास, वर्ष) से निवास कर रहा/रही हूँ।
- मैं उपर्युक्त वार्ड निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित राज्य विधानसभा मतदाता सूची के रजिस्ट्रीकृत के लिए पात्र हूँ।
- मैंने किसी अन्य पंचायत वृत्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।
- * मेरा नाम इस वार्ड या किसी पंचायत वृत्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

* मेरा नाम वार्ड संख्या की मतदाता सूची में क्रम संख्यांक पर सम्मिलित किया गया है जिसमें नीचे वर्णित पते पर मैं सामान्यतः पहले से निवास करता था और यदि ऐसा है तो मैं निवेदन करता हूँ कि निर्वाचक नामावली में से उसे हटा दिया जाये।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

टिप्पण : कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क के अधीन दण्डनीय है।

आवेदन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे

क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की अभ्युक्तियां (जैसे अन्वेषक अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी)

निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये

श्री/श्रीमती/कुमारी का निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप-1 में आवेदन स्वीकृत* कर लिया गया है/अस्वीकृत* कर दिया गया है। स्वीकृत या अस्वीकृत करने के विस्तृत कारण (नियम 14 के उप-नियम (3) के अधीन).....

स्थान

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

की गई कार्यवाही की सूचना

(पृष्ठ का अनुभाग-2 निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये और आवेदक द्वारा अनुभाग-1 में दिये गए पते पर डाक द्वारा आवेदक को भेजा जाये)

पहला मोड़

अनुभाग-1

आवेदक का नाम और डाक का पता :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकिट चिपकाया जाये।

दूसरा मोड़

अनुभाग-2

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप-1 में आवेदन :-

(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी का नाम पंचायत वृत्त के वार्ड संख्या के क्रम संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

(ख) के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी पता

का प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पता

अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें।